रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2013/भाद्र 28, 1935
No. 481] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2013/BHADRA 28, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग आफिसर (समूह 'क' योधक पद) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग आफिसर (समूह 'क' योधक पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग आफिसर (समूह 'क' योधक पद) भर्ती नियम, 2011 में, क्रम सं.–14, कनिष्ठ लॉजिस्टिक आफिसर (सहायक कमाण्डेंट) के पद से संबंधित अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रूप में रखे जायेंगेः–

(1)	(2)	(3)	(4)
14. सहायक कमाण्डेंट (लॉजिस्टिक)	06* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और ग्रेड वेतन 5,400 रुपए

(5)	(6)
पद चयन	पैंतीस वर्ष से अधिक नही। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) **टिप्पणः**– आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख निर्णायक तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः– (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का एसोसिएट सदस्य; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैटिरियल मैनेजमेंट में एम0बी0ए0; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्टोर प्रबंधन अथवा सामग्री प्रबंधन में एक वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित किसी भी शाखा में डिग्री। **वांछनीय** :– (II) किसी मान्यताप्राप्त संगठन से लॉजिस्टिक या विमानन के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** :–अर्हता अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिलनीय है। **टिप्पण 2** :–अनुभव संबंधी अर्हता, केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) 33.3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए––प्रतिनियुक्ति / पुन र्नियोजन। (ii) 66.7 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।